

**“विकास आयुक्त कार्यालय के पदाधिकारी व अधिकारियों / कर्मचारियों
के अधिकार और कर्तव्य”**

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) (ii) के अंतर्गत)

- जिला पंचायत परियोजना अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत का जॉब चार्ट
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य (पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 69 अंतर्गत)
- विकास विस्तार अधिकारी का जॉब चार्ट
- सहायक विकास विस्तार अधिकारी का जॉब चार्ट
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की अनुपस्थिति/अवकाश अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के समस्त कार्यों का संपादन करने हेतु निर्देश।
- विकास विस्तार अधिकारियों के पदेन अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत संबंधी निर्देश।

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
दारु कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

2396/वि-2/स्था/2007

रायपुर, दिनांक 24/04/2007

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
 जिला पंचायत समस्त,
 छत्तीसगढ़ ।

विषय :- जिला पंचायत में परियोजना अधिकारी के पद के संबंध में ।

—0—

इस विभाग के उपायुक्त जिन्हें अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के पद पर पदस्थ किया गया है वे अब परियोजना अधिकारी के पद पर पदस्थ माने जावेंगे तथा उन्हें पदेन अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कहा जावेगा ।

भविष्य में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को परियोजना अधिकारी के पद पर पदस्थ किये जाने पर उन्हें "परियोजना अधिकारी" एवं उपायुक्त (विकास) को परियोजना अधिकारी के पद पर पदस्थ किये जाने पर परियोजना अधिकारी/पदेन अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कहा जावेगा ।

(पी.सी. मिश्रा)

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क. 2397/वि-2/स्था/2007

रायपुर, दिनांक 24/04/2007

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर ।
2. विकास आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
3. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ ।
4. अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त, छत्तीसगढ़ ।

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

क. 850 / वि-2 / स्था / 2006
प्रति,

रायपुर, दिनांक 22 / 02 / 2006

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत समस्त,
छत्तीसगढ़ ।
विषय :- अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत का जाद चार्ट जारी करने बाबत ।

—0—

विभाग के उपायुक्त (विकास) जो कि जिला पंचायतों में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं के लिए निम्नानुसार जाद चार्ट निर्धारित किया जाता है :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत का पद रिक्त होने अथवा अदकाश अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का समस्त प्रभार ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुपस्थिति/अदकाश अवधि में जिला पंचायत की विभिन्न बैठकों का आयोजन ।
3. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित सनस्त योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित नस्तियां उपयुक्त टीप सहित मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत करना ।
4. जिले में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यों का निरीक्षण एवं अनुश्रवण करना ।
5. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित सनस्त योजनाओं/कार्यक्रमों की मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित समय-सीमा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से विभाग को प्रेषित करना ।
6. समय-समय पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य ।

(पी.सी. मिश्रा)
विशेष सचिव

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 / 02 / 2006

पृ. सं. 851 / वि-2 / स्था / 2006
प्रतिनिधि :-

1. विकास आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
2. सनस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ ।
3. अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (समस्त), छत्तीसगढ़ ।

विशेष सचिव

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, रायपुर

22 FEB 2006

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक 5381/वि-2/स्था./2007
प्रति,

रायपुर, दिनांक 08/08/2007

1. कलेक्टर,
जिला समस्त,
छत्तीसगढ़ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत समस्त,
छत्तीसगढ़ ।

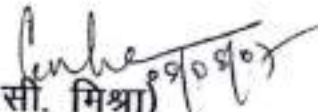
विषय :- अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के जॉब चार्ट बाबत ।

संदर्भ :- इस विभाग का ज्ञापन कं. 850/वि-2/स्था./2006, दि. 22.02.06

—0—

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन का अवलोकन करें, जिसके द्वारा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत हेतु जॉब चार्ट जारी किया गया है ।

शासन के ध्यान में यह बात आई है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत का पद रिक्त होने अथवा अवकाश अवधि में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, को प्रभार नहीं दिया जाकर अन्य अधिकारी को प्रभार दिया जाता है एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित नस्तिर्यां अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत नहीं की जा रही है अतः संदर्भित ज्ञापन अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे अन्यथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे ।


(पी.सी. मिश्रा)
विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक 5382 /वि-2/स्था./2007

रायपुर, दिनांक 08/08/2007

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय विकास आयुक्त, बस्तर/सरगुजा, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ ।
संदर्भित ज्ञापन की प्रति संलग्न प्रेषित है ।


विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रयोजनों के लिए या ऐसे अन्य व्य के लिए किया जाएगा, जो राज्य सरकार किसी पंचायत के आवेदन पर, या अन्यथा लोकहित में अनुमोदित करें। पंचायत निधि निकटतम सरकारी खजाने या उपखजाने या डाकघर या सरकारी बैंक या अधिसूचित बैंक या उसकी शाखा में रखी जाएगी।

(3) राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति या स्थानीय अधिकारी द्वारा किसी विनिर्दिष्ट कार्य या प्रयोजन के लिए पंचायत को आर्बिट्रित किसी राशि का उपयोग केवल उसी कार्य या प्रयोजन के लिए तथा ऐसे अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा जो राज्य सरकार इस संबंध में साधारणतः या विशेषतः जारी करे।

²[(4) पंचायत निधि में से समस्त रकमें—

(एक) ग्राम पंचायत के मामले में सरपंच तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से;

(दो) यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी के जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, हस्ताक्षर से, निकाली जाएगी :

परन्तु जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मामले में समस्त रकमें केवल, वार्षिक बजट के अनुसार विस्तृत कार्य योजना की व्यवस्था करने के प्रयोजनों हेतु यथास्थिति, जनपद पंचायत या जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के पूर्व अनुमोदन से ही निकाली जाएगी :

परन्तु यह और भी कि पंचायत निधि के समस्त प्राप्तियों तथा पंचायत निधि में से समस्त आहरण में संबंधित जानकारी पंचायत के समक्ष उसके आगामी सम्मेलन में रखी जाएगी।]

(5) ³[* * *]

(6) ³[* * *]

धारा 67. सविदा निष्पादित करने का ढंग—पंचायतों द्वारा सविदाओं को निष्पादित करने का ढंग ऐसा होगा जो, विहित किया जाए।

धारा 68. सहायता अनुदान देने की शक्ति—पंचायत, राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के अधधीन रहते हुए, सार्वजनिक उपयोगिता के किसी कार्य के लिए सहायता अनुदान दे सकेगी।

अध्याय-8

पंचायतों की स्थापना, बजट तथा लेखें

धारा 69. सचिव तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति—(1) राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी किसी ग्राम पंचायत के लिए या एक से अधिक ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक सचिव नियुक्त कर सकेगा :

परन्तु इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व ग्राम पंचायत के सचिव का प्रभार धारण करने वाल व्यक्ति, इस धारा के अनुसार सचिव की नियुक्ति हो जाने तक, उस रूप में कृत्य करता रहेगा :

¹[परन्तु यह और भी कि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के सचिव का कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा यदि ऐसा व्यक्ति संबंधित ग्राम पंचायत के किसी पदाधिकारी का नातेदार है।]

¹[स्पष्टीकरण—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति “नातेदार” का अर्थ है पिता, माता, भाई, बहिन, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, श्वसुर, सास, साला बहनोई, देवर, साली, भाभी, ननद, देवरानी, जेठानी, दामाद या पुत्रवधु।]

²[(2) राज्य सरकार प्रत्येक जनपद पंचायत के लिए एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी करेगी, और एक या उससे अधिक अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को भी नियुक्त कर सकेगी जो ऐसे कृत्यों का निर्वहन तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उन्हें समनुदेशित किया जाए।]

³[(3) राज्य सरकार प्रत्येक जिला पंचायत के लिए एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त करेगी और एक या अधिक अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा कार्यपालक अधिकारी भी नियुक्त कर सकेगी, जो ऐसे कृत्यों का निर्वहन और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसे कि उसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा समनुदेशित किए जाएं।]

(4) ग्राम पंचायत के सचिव या ⁴[जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी] की छुट्टी, सेवानिवृत्ति या मृत्यु या त्यागपत्र के कारण या अन्यथा अनुपस्थिति के दौरान विहित प्राधिकारी, यथासंभव शीघ्र, यथास्थिति ग्राम पंचायत के सचिव या ⁴[जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी] के पद का कार्य चलाने के लिए ऐसा इंतजाम करेगा, जैसा वह उचित समझे। कोई व्यक्ति, ऐसे पद पर कार्य करते समय उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा यथास्थिति ग्राम पंचायत के सचिव या ⁴[जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी] को प्रदत्त की गई है।

(5) ग्राम पंचायत का सचिव ⁴[जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी] यथास्थिति, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अभिलेखों के अभिलेखों को रखने और उसके बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

धारा 70. पंचायत के अन्य अधिकारी और सेवक—(1) प्रत्येक पंचायत धारा 69 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विहित प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे अन्य अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति कर सकेगा, जिन्हें वह अपने कर्तव्यों में दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(2) ऐसे अधिकारियों और सेवकों की अर्हताएं भरती की पद्धति, वेतन, छुट्टी, भत्ता तथा सेवा की अन्य शर्तें जिनमें अनुशासनिक मामले सम्मिलित हैं, ऐसी होगी, जो विहित की जाएं।

धारा 71. शासकीय सेवकों की प्रतिनियुक्ति—राज्य सरकार अपने ऐसे सेवकों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे, पंचायत की सेवा में प्रतिनियुक्ति कर सकेगी। ऐसे प्रतिनियुक्ति सेवकों की सेवा शर्तें ऐसी होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, विहित की जाएं।

धारा 72. मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा सचिव के कृत्य—ग्राम पंचायत के सचिव ¹[जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी] के कृत्य ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं।

धारा 73. बजट तथा वार्षिक लेख—(1) प्रत्येक पंचायत, प्रतिवर्ष ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में तथा ऐसी तारीख तक, जैसे विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी प्राप्तिओं तथा व्यय के बजट प्राक्कलन तैयार करेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार किए गए बजट प्राक्कलन ऐसे प्राधिकारियों द्वारा और ऐसी रीति में जैसा विहित किया जाए, अनुमोदित किए जाएंगे।

(3) पंचायतों द्वारा वार्षिक लेखे तथा प्रशासन की रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को विहित रीति में प्रस्तुत की जाएगी।

अध्याय-9

कराधान और दावों की वसूली

¹[धारा 74. भूमि पर उपकर उद्ग्रहण करने की शक्ति—(1) प्रत्येक भू-धारी तथा सरकारी पट्टेदार उसके द्वारा ¹[ग्राम सभा क्षेत्र] में धारित भूमि के संबंध में ऐसे भूमि पर निर्धारित भू-राजस्व या लगान के प्रति रुपया या उसके किसी ऐसे भाग पर जो पचास पैसे से अधिक हो, पचास पैसे की दर से प्रत्येक राजस्व वर्ष के लिए इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपकर का भुगतान करने का दायी होगा।

(2) कोई ¹[ग्राम सभा] विहित रीति में इस प्रभाव का संकल्प पारित करके उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट दर का, दस रुपए की सीमा तक बढ़ा सकेगी।

(3) उप-धारा (1) तथा (2) के अधीन उद्ग्रहीत किया गया उपकर और धारा 77 की उप-धारा (3) के अधीन उद्ग्रहीत किया गया विकास कर उस भू-राजस्व या लगान या किसी अन्य उपकर या कर के अतिरिक्त होगा, जो ऐसी भूमि पर छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित के अधीन लगाया गया हो, और वह यथाशक्य उसी रीति में देय होगा, तथा संग्रहित किय जाएगा, जिस रीति में भू-राजस्व देय होता है, तथा संग्रहित किया जाता है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अभिव्यक्ति “भू-धारी”, “सरकारी पट्टेदार”, “भू-राजस्व” और “लगान” के वहीं अर्थ होंगे, जो छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में उनके लिए दिया गया है।]

धारा 75. खंड की भीतर सम्पत्ति के अन्तरण पर शुल्क—उन लिखितों पर, जो खंड के भीतर स्थित स्थावर सम्पत्ति के विक्रय, दान या बंधक से संबंधित हो, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) के अधीन अधिरोपित शुल्क में, ऐसी सम्पत्ति के मूल्य पर या बंधक की दशा में उस रकम पर, जो लिखित द्वारा प्रतिभूति की गई है, एक प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी :

¹[परन्तु बंधक से संबंध में उद्ग्रहित किया गया ऐसा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क उस पर

(2) b

विकास आयुक्त कार्यालय
विकास भवन, सिविल लाईन्स, छत्तीसगढ़, रायपुर

// आदेश //

रायपुर दिनांक 23/10/2010

क्रमांक 3636/वि-2/स्था./2010 - पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत
पदस्थ विकास विस्तार अधिकारियों एवं सहायक विकास विस्तार अधिकारियों हेतु संलग्न
प्रपत्र अनुसार कर्तव्य सूची (जाब चार्ट) जारी किया जाता है।

(संजीवस मिश्र)
विकास आयुक्त 23/10/10
छत्तीसगढ़, रायपुर

प्र० क्रमांक 3637/वि-2/स्था./2010
प्रतिलिपि :-

रायपुर दिनांक 23/10/2010

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डी.के.
एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर।
2. समस्त कमिश्नर, छत्तीसगढ़।
3. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छत्तीसगढ़।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत छत्तीसगढ़।

विकास आयुक्त
छत्तीसगढ़, रायपुर 23/10/10

विकास विस्तार अधिकारी के कर्तव्यों की सूची (जॉब चार्ट)

1. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के लक्ष्यों एवं पर्यवेक्षण को जनपद स्तर पर समन्वय करना।
2. सभी नस्लियों को इनके माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना।
3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना और सामाजिक अंकेक्षण का क्रियान्वयन कराना।
4. सहायक विकास विस्तार अधिकारियों की पाक्षिक बैठक कर समीक्षा एवं मार्गदर्शन तथा लक्ष्य पूर्ति में सहयोग करना।
5. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत मस्टर रोल सत्यापन का कार्य करना।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की अनुपस्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत का प्रभार संभालना।
7. उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करना।
8. ग्राम सुराज अभियान का क्रियान्वयन एवं मांग/शिकायतों के निराकरण के खण्ड स्तरीय प्रभारी अधिकारी।
9. ग्रामीण संधियालयों की मानिट्रिंग करना तथा रिपोर्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत करना।


22/04/20

सहायक विकास विस्तार अधिकारी के कर्तव्यों की सूची (जॉब चार्ट)

1. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY):-

1. ग्राम पंचायत सचिव/आंगन बाड़ी कार्यकर्ता द्वारा गठित बी.पी.एल. स्व-सहायता समूह का पर्यवेक्षण तथा बैंक लिंकेज। अपने कार्य क्षेत्र की तथा जिलों के अंतर्गत सुनिश्चित करना।
2. बी.पी.एल. स्व-सहायता समूह के परिसंघ (Federation) बनाने का कार्य।
3. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका (NRLM) अंतर्गत परिसंघ (Federation) बनाकर योजना से संबंधित समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

2. इंदिरा आवास योजना (IAY):-

1. आवासों के निर्माण का निरीक्षण कर आगामी किस्त हेतु प्रगति प्रतिवेदन जनपद पंचायत को सौंपना तथा आवास की पूर्णता समय-सीमा में सुनिश्चित करना।

3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (MGNREGS):-

1. कार्यों का निरीक्षण, भुगतान संबंधित होने की जानकारी प्राप्त करना तथा लेखा बजट तैयार करने में सहयोग करना।

4. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (NFBS):-

1. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना से संबंधित आवेदनों की जांच कर प्रतिवेदन जनपद पंचायत को प्रस्तुत करना।

5. प्रशिक्षण:-

1. विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का जनपद पंचायत की ओर से समन्वय करना तथा बी.आर.जी.एफ. अंतर्गत पंचायत संसाधन केन्द्र (PRC) और अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के प्रशिक्षण संबंधी समन्वय का कार्य करना।

6. एरिया आफिसर के रूप में कार्य:-

1. एरिया आफिसर के रूप में अपने कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायतों एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के बीच समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार अधिकारी होंगे।
2. वे अपने अधिकार क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के सचिवों की बैठक लेकर निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्राप्त कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को पाक्षिक रूप से प्रस्तुत करना।

7. जल ग्रहण योजना (SLNA):-

जल ग्रहण के कार्यों का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के साथ Convergence करने में सहायता प्रदान करना।

Anita
02/10/10

विकास आयुक्त कार्यालय
इंद्रावती, विभागाध्यक्ष भवन
ब्लॉक-एक, मूलतः कक्षा क. 43 (CIV)
छत्तीसगढ़, नया रायपुर
// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 11/05/2017

क्रमांक 1613/वि-2/स्था./2017- कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3636/वि-2/स्था./2010
दिनांक 23.10.2010 के द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत पदस्थ विकास
विस्तार अधिकारियों एवं सहायक विकास विस्तार अधिकारियों हेतु संलग्न प्रपत्र अनुसार
कर्तव्य सूची (जाब चार्ट) जारी किया गया था।

2/- उक्त आदेश में सहायक विकास विस्तार अधिकारियों की जारी कर्तव्य सूची (जाब
चार्ट) में आंशिक संशोधन करते हुए सहायक विकास विस्तार अधिकारियों के संलग्न प्रपत्र
अनुसार कर्तव्य सूची (जाब चार्ट) जारी किया जाता है।

(विकास आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)


सुभाष मिश्रा
अपर विकास आयुक्त
विकास आयुक्त कार्यालय
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

पृ.क्रमांक 1614/वि-2/स्था./2017
प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक 11/05/2017

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छ.ग.
नया रायपुर को सूचनार्थ।
2. समस्त कमिश्नर, छत्तीसगढ़।
3. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छत्तीसगढ़।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत छत्तीसगढ़।


अपर विकास आयुक्त
विकास आयुक्त कार्यालय
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

सहायक विकास विस्तार अधिकारी के कर्तव्यों की सूची (जॉब चार्ट)

1. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) से संबंधित समस्त कार्य।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं इंदिरा आवास योजना से संबंधित समस्त कार्य।
3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना से संबंधित समस्त कार्य।
4. प्रशिक्षण से संबंधित समस्त कार्य।
5. अपने प्रभार के ग्राम पंचायतों को ODF घोषित कराने में समन्वय करना।
6. आवश्यकता एवं निर्देशानुसार अपने प्रभार के ग्राम पंचायतों के सचिवों/रोजगार सहायकों से समन्वय कर वांछित जानकारी प्राप्त कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत को प्रस्तुत करना।
7. सांसद/विधायक आदर्श ग्राम योजना के चयनित ग्राम पंचायतों में योजना क्रियान्वयन में समन्वय करना।
8. मिशन अंत्योदय योजना के क्रियान्वयन में समन्वय करना।
9. रूरुर्बन मिशन योजनांतर्गत चयनित क्लस्टर के ग्रामों में योजना क्रियान्वयन में समन्वय करना।
10. विभाग, विभागाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत द्वारा दिए गए, निर्देश एवं कार्य का समय-सीमा में संपादित करना।

4^{2C}

5

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

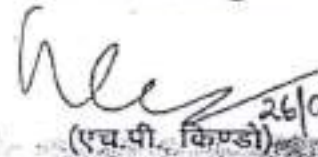
// आदेश //

रायपुर, दिनांक 26/09/2008

क्रमांक 4897 / वि-2/स्था/2008 - राज्य शासन एतद द्वारा इस विभाग के अधीन पदस्थ विकास विस्तार अधिकारियों को पदे अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोषित करता है ।

वे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की अनुपस्थिति / अवकाश अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के समस्त कार्यों का संपादन करेंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एच.पी. किशोर)
26/09/08

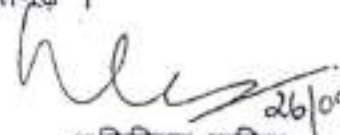
अतिरिक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, दिनांक 26/09/2008

क्रमांक 4898 / वि-2/स्था/2008
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
2. विकास आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ ।
4. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ ।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छत्तीसगढ़ ।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छत्तीसगढ़ ।
7. समस्त विकास विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत, छत्तीसगढ़ ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


26/09/08

अतिरिक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

//2//

4

पृ. क्र. 3701 / आर-1154 / 2023 / 22-2 नवा रायपुर, दिनांक 4 JUL 2023
प्रतिलिपि :- / 06 / 2023

1. विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय, से.-19, नवा रायपुर अटल नगर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छत्तीसगढ़।
4. समस्त विकास विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. आर्डर बुक।

mal
30/6/23
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

3

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
::मंत्रालय::

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर-492002

क्रमांक 3100 /आर-1154/2023/22-2
प्रति,

4 JUL 2023
नवा रायपुर, दिनांक /06/2023

1. समस्त कलेक्टर,
जिला-छत्तीसगढ़।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत-छत्तीसगढ़।

विषय :- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की अनुपस्थिति/अवकाश अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत का प्रभार बाबत।

—0—

विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश के द्वारा प्रदेश के जनपद पंचायतों के लिए विकास विस्तार अधिकारियों को "पदेन अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत" घोषित करते हुए इन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की अनुपस्थिति/अवकाश अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के समस्त कार्यों का संपादन करेंगे, आदेशित किया गया है।

2/ शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कतिपय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा उनकी अवकाश/अनुपस्थिति अवधि में विकास विस्तार अधिकारियों को छोड़कर अन्य अधिनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत का प्रभार सौंपा जा रहा है, जो कि शासन द्वारा जारी उक्त संदर्भित आदेश के अनुरूप नहीं है।

3/ अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की अनुपस्थिति/अवकाश अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के समस्त कार्यों के संपादन हेतु विभाग द्वारा जारी संदर्भित आदेश अनुसार ही व्यवस्था सुनिश्चित किया जावे।

अतएव संदर्भित उक्त आदेश का जिले में कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।


(सुब्रत साहू)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमशः.....

(2)

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक/ 449 /वि-2/स्था./2006

रायपुर, दिनांक 27/01/2006

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त)
छत्तीसगढ़ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत (समस्त)
छत्तीसगढ़ ।

विषय:- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के रिक्त पदों का प्रभार अन्य अधिकारी को देने बाबत ।

—0—

विषयांतर्गत शासन के ध्यान में लगातार यह बात आ रही है कि जनपद पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के रिक्त पदों पर कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा शासन की बगैर अनुमति के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के संदर्भ के अधिकारी को छोड़कर अन्य विभाग/सर्वर के अधिकारियों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत का प्रभार दिया जा रहा है । यह अन्याय आपत्तिजनक एवं विभाग के उद्देश्यों के सर्वथा विपरीत है ।

उपरोक्त संदर्भ में विभाग द्वारा निम्नानुसार नीति निर्धारित की गई है:-

- (1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के रिक्त पदों पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा ही समीपस्थ जनपद पंचायत के नियमित मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रभार दिया जायेगा ।
- (2) समीपस्थ जनपद के नियमित मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुपस्थिति पर ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/विकास खण्ड अधिकारी, जो जिला पंचायत में सहायक परियोजना अधिकारी है, को प्रभार दिया जाये एवं सहायक परियोजना अधिकारी का कार्य विकास विस्तार अधिकारी/सहायक विकास विस्तार अधिकारी से लिया जाये ।
- (3) उपरोक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी परिस्थिति में अन्य विभाग/सर्वर के अधिकारियों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी का प्रभार शासन की अनुमति पर ही दिया जा सकेगा ।
- (4) किसी भी परिस्थिति में स्थानीय स्तर पर जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का स्थानांतरण/प्रभार परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

(जी.पी. मंडल)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्र. 1328 / आर-334 / 22-1 / 2024

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02 / 02 / 2024

7 MAR 2024

प्रति

1. समस्त कलेक्टर,
जिला - छत्तीसगढ़।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत - छत्तीसगढ़।

विषय :- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की अनुपस्थिति/अवकाश अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत का प्रभार बाबत।

संदर्भ :- विभागीय आदेश दिनांक 27.01.2006 एवं 26.09.2008 तथा विभागीय पत्र दि. 04.07.2023

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेशों/पत्र की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न प्रेषित है जिनके माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की अनुपस्थिति/अवकाश अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत का प्रभार सौंपे जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गये हैं।

किंतु यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कतिपय जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की अनुपस्थिति/अवकाश अवधि में उनका प्रभार उपरोक्त संदर्भित आदेशों/पत्र में उल्लेखित अधिकारियों को न सौंपकर अन्य विभाग के अधिकारियों को सौंपा जा रहा है। यह अत्यंत आपत्तिजनक एवं विभाग के उद्देश्यों के सर्वथा विपरीत है।

अतः कृपया भविष्य में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की अनुपस्थिति/अवकाश अवधि में उनका प्रभार सौंपे जाने के संबंध में संदर्भित आदेशों में दिए गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(निहारिका बारिक सिंह)
प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

—2—

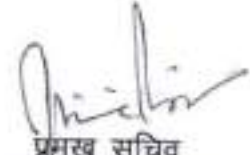
4.3.24.

1329
पृ. क्र. /आर-334/22-1/2024
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक

7 MAR 2024
/02/2024

1. विशेष सहायक, मान. उप मुख्यमंत्रीजी, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय, विकास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छत्तीसगढ़।
5. समस्त विकास विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत छत्तीसगढ़।



प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग